संख्या-52/2015/3070/60-2-15-2/3(7)/07

प्रेषक,

अरूण कुमार मिश्र
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 24 नवम्बर, 2015

विषय : वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्री-स्कूल किट्स के क्रय हेतु पी.एल.ए. में रखी अवशेष धनराशि का उपयोग/आहरण की अवधि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय पत्र संख्या-1331/बा.वि.परि./2015-16, दिनांक 19.10.2015 तथा पत्र संख्या-1364/बा.वि.परि./2015-16, दिनांक 30.10.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आई0सी0डी0एस0 कार्यक्रम के अन्तर्गत -02-समन्वित बाल विकास योजना के मानक मद -42-अन्य व्यय से प्री-स्कूल किट क्रय किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि रूपये 53,14,98 हजार (रूपये तिरपन करोड़ चौदह लाख अटठानब्बे हजार मात्र) के सापेक्ष रूपये 52,94,84,886/- (रूपये बावन करोड़ चौरानब्बे लाख चौरासी हजार आठ सौ छियासी मात्र) की धनराशि उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम, लखनऊ के पी0एल0ए0 में रखने की अनुमति शासनादेश संख्या-20/2015/775/60-2-15-2/3(7)/07, दिनांक 31.03.2015 द्वारा प्रदान की गयी तथा यह निदेशित किया गया कि उक्त धनराशि का व्यय नियमानुसार 30.09.2015 तक सुनिश्चित कर लिया जायेगा।

2. निदेशालय के उक्त संदर्भित पत्रों दिनांक 19.10.2015 तथा 30.10.2015 के द्वारा उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लखनऊ के पी0एल0ए0 में रखी वर्णित धनराशि में से रू0 33,52,65,942/- का आहरण कर लिये जाने तथा पी0एल0ए0 में रखी अवशेष धनराशि रूपये 19,42,18,944/- (रूपये उन्नीस करोड़ बयालीस लाख अटठारह हजार नौ सौ चौवालिस मात्र) के आहरण एवं उपयोग की अवधि बढ़ाये जाने के अनुरोध के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त पी0एल0ए0 में रक्षित उक्त अवशेष धनराशि की उपयोगिता अवधि अन्तिम बार दिनांक 30.11.2015 तक बढ़ाये जाने की अनुमति इन शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है कि नियमानुसार समस्त औपचारिकता पूर्ण करते हुए यथावश्यक धनराशि का आहरण सुनिश्चित किया जायेगा तथा उक्त अवधि के पश्चात अवशेष बची धनराशि को राजकोष में नियमानुसार जमा किया जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-1498/दस-2015, दिनांक 24 नवम्बर, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अरूण कुमार मिश्र)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-52/2015/3070(1)/60-2-15-2/3(7)/07, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रधान महालेखाकार (जनरल एण्ड सोशल सेक्टर आडिट), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम, लखनऊ।
3. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1 ।
5. वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग/ राज्य योजना आयोग-1।
6. आहरण एवं वितरण अधिकारी, निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0, लखनऊ
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिवराज कुमार यादव)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।